Pithoragarh Police Uttarakhand
36m ·

फर्जी दस्तावेज बनवाने में सहयोग करने वाले आरोपी को थाना बेरीनाग पुलिस ने किया गिरफ्तार।

#UttarakhandPolice
#pithoragarhpoliceuttarakhand
#UKPoliceStrikeOnCrime

दिनांक- 22.09.2022 को शिकायतकर्ता भीम सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी- बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ द्वारा थाना बेरीनाग में तहरीर दी गई थी कि एक व्यक्ति जिसने स्वयं को मनीष पाठक पुत्र जयदत्त पाठक, निवासी- ग्राम कराला, पो0 धरमघर बताकर वादी से जान पहचान बढ़ाकर अपने विश्वास में लेते हुए वादी से कुल- 20,00000/- (बीस लाख) लाख रुपये की ठगी की गई। अभियुक्त मनीष पाठक द्वारा स्वयं को ग्राम कराला, पो0 धरमघर निवासी जय दत्त पाठक का पुत्र तथा नवीन पाठक पुत्र जय दत्त पाठक का भाई बताया गया। नवीन पाठक पुत्र जय दत्त पाठक भी मनीष पाठक उपरोक्त को अपना भाई बताता था। पूरा क्षेत्र मनीष पाठक को जयदत्त पाठक का पुत्र और नवीन पाठक के भाई के रुप में जानता था। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मनीष पाठक उपरोक्त ग्राम कराला, पो0 धरमघर का निवासी नहीं है, उसके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाकर स्थानीय निवासियों का विश्वास जीतकर वादी व क्षेत्र के निवासियों के साथ धोखाधड़ी कर पैंसा हड़प लिया है। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मनीष पाठक उपरोक्त के विरुद्ध थाना बेरीनाग में भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक बेरीनाग, श्री प्रभात कुमार द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के मिलने के सभी सम्भावित स्थानों में दबिश दी गई परन्तु अभियुक्त मनीष पाठक अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु लगातार फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000/- रु0 का ईनाम भी रखा गया है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त नवीन चन्द्र पाठक द्वारा मुख्य अभियुक्त मनीष पाठक को अपना भाई बताकर उसके द्वारा धोखाधड़ी से स्थानीय स्तर पर फर्जी कागजात बनवाने में सहयोग किया गया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 14.06.2023 को अभियुक्त नवीन चन्द्र पाठक पुत्र जय दत्त पाठक, निवासी- कराला महर थाना थल जिला पिथौरागढ़ उम्र- 49 वर्ष को चौकोड़ी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

POLICE
1732